संख्या-34/2022/582/26-3-2022

प्रेषक,

रजनीश चन्द्र,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण
उ0प्र0, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 31 मार्च 2022

विषय- **वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुसूचित जाति के वर्तमान पुस्तकालयों छात्रावासों और पाठशालाओं का सुधार विस्तार (जिला योजना) राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना एवं अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत में उत्पन्न बचत के आधार परसामान्यवर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-3639/स0क0/शिक्षा-अ/7/58/2021-22, दिनांक-28.03.2022 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-80 के लेखाशीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-200-अन्य कार्यक्रम-07-आरक्षित वर्ग के अतिरिक्त अन्य वर्गो (सामान्य) के निर्धन अभिभावकों के आश्रित छात्रों को दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं प्रवेश शुल्क प्रतिपूर्ति-00-21-छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन में धनराशि रू0-17437.42 लाख (रू0-एक अरब चौहत्तर करोड़ सैतीस लाख बयालीस हजार मात्र) को अनुदान संख्या-80 के 2225-01-277-00-07- के मानक मद 31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) व राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत अनुदान संख्या-80 के लेखाशीर्षक-2235-02-104-05-02-20 तथा अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-80 के लेखाशीर्षक-2225-01-277-01-02-21-छात्रवृत्तियॉ और छात्रवेतन मद में उपलब्ध बचतों की धनराशि से पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत किये जाने के प्रस्ताव पर राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः-

(1)-उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रायोजन हेतु नही किया जायेगा। किसी प्रकार की विचलन की स्थिति में आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(2)-स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय करने से पूर्व सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि पूर्व वर्षो में स्वीकृत की गयी कोई धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/ डाकखाना/डिपाजिट आदि खातों में अवशेष जमा नही है।

(3)-उक्त धनराशि इस शर्त के साथ निर्गत की जा रही है कि इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/वित्तीय नियमों का कड़ाई से पालन किया जायेगा।

(4)-उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद तथा शासन को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

(5)-वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक-22 मार्च 2021 में दिये गये दिशा-निर्देशां का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(6)-अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकता एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा।

(7)-स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा, जिस मद हेतु धनराशि की व्यवस्था की गयी है।

(8)-प्रश्नगत प्रकरण में लम्बित देयता का भुगतान सत्यापन उपरांत सही पाने पर ही किया जायेगा।

(9)-धनराशि की उपलब्धता का दायित्व विभाग का होगा।

(10)-यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जिस मद से धनराशि संक्रमित की जा रही है उसमें चालू वित्तीय वर्ष के लिये उक्त प्रयोजन हेतु पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है तथा इस मद में अतिरिक्त धनराशि की मांग नही की जायेगी।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-80 के लेखाशीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-200-अन्य कार्यक्रम-07-आरक्षित वर्ग के अतिरिक्त अन्य वर्गो (सामान्य) के निर्धन अभिभावकों के आश्रित छात्रों को दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं प्रवेश शुल्क प्रतिपूर्ति-00-21-छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन के नामे डाला जायेगा तथा व्यय संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9 के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक में उपलब्ध बचतों से पुनर्विनियोग कर वहन किया जायेगा।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

रजनीश चन्द्र
विशेष सचिव।

पृ0संख्या-34/2022/582/26-3-2022 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज ।
2- महालेखाकर (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
6- निदेशक, एन0आई0सी0योजना भवन, लखनऊ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

रजनीश चन्द्र
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in

बी0एम0–9 (भाग–1)
पुर्नविनियोग की स्वीकृति के लिए आवेदन
(संदर्भ बजट मैनुअल का प्रस्तर–158)

अनुदान संख्या–80 सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना

वित्तीय वर्ष 2021–22 (रू0 लाख में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जा[illegible]	
लेखा शीर्षक (15 डिजिट कोड में)	आवेदन पत्र देने के दिनाक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनाक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण पश्चात अनुदान/विनियोग
1	2	3	4	5	6
2225–अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण–01–अनुसूचित जातियों का कल्याण–277–शिक्षा–07–**विभाग द्वारा सहायता प्राप्त अनुसूचित जातियों के वर्तमान पुस्तकालयों, छात्रावासों और पाठशालाओं का सुधार एवं विस्तार** (जिला योजना)–00					
31–सहायता अनुदान–सामान्य (वेतन)	21398.78	3437.42	3437.42	3437.42	17961
2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण–02–समाज कल्याण–104–वृद्ध एवं अशक्त तथा नि. सहाय व्यक्तियों का कल्याण–05–राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम–**02–राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना**					
20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	27500.00	2000.00	2000.00	2000.00	2550[illegible]
2225–अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण–01–अनुसूचित जातियों का कल्याण–277–शिक्षा–01 केन्द्र प्रायोजित योजनायें–02–अनुसूचित जातियों के दशमोत्तर कक्षाओं के छात्रों को छात्रवृत्ति (के.60/रा0 40)					
21–छात्रवृत्तियाँ और छात्रवेतन	80000.00	12000.00	12000.00	12000.00	6800[illegible]
योगः–	**128898.78**	**17437.42**	**17437.42**	**17437.42**	**11146**

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जा[illegible]	
लेखा शीर्षक (15 डिजिट कोड में)	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9–8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण पश्चात अनुदान/ [illegible]
7	8	9	10	11	12
2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण–02–समाज कल्याण–200–अन्य कार्यक्रम–**07–आरक्षित वर्ग के अतिरिक्त अन्य वर्गों (सामान्य) के निर्धन अभिभावकों के आश्रित छात्रों को दशमोत्तर छात्रवृत्ति एव प्रवेश शुल्क प्रतिपूर्ति–00**					
21– छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन	57500.00	74937.42	17437.42	17437.42	7493[illegible]
योग–	**57500.00**	**74937.42**	**17437.42**	**17437.42**	**7493**

(1) स्तम्भ–3 मे उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है–स्तम्भ–1 मे उल्लिखित लेखाशीर्षकों में बचत वास्तविक आवश्यकता के अनुसार है।
(2)–स्तम्भ–8 मे उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ–9 मे अंकित व्यय निम्नलिखित कारणों से है–योजना/अधिष्ठान के कियान्वयन किये जाने के कारण।
(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुर्नविनियोग में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर 150, 151 मे निर्दिष्ट प्रतिबन्धो/परिसीमाओ का उल्लघन नहीं होता है।

संख्या–आर0ई0–712/ई–4–/दस–22 दिनाक–31 मार्च, 2022

सेवा मे,
महालेखाकार (लेखा एव हकदारी प्रथम)
उ0प्र0, इलाहाबाद।

(रजनीश चन्द)
विशेष सचिव
समाज कल्याण विभाग।

फूल चन्द यादव
अनु सचिव
वित्त विभाग।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

पृ0संख्या-34/2022/582/(1)/26-3-2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।

2- निदेशक, स्थानीय निधि, लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज।

3- निदेशक, समाज कल्याण उ0प्र0 लखनऊ।

4- वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।

5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।

7 - गार्डफाइल।

आज्ञा से,

(रजनीश चन्द्र)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।